प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
सी. जी. ओ. कॉम्पलैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली

विज्ञापन सं. ई–11016/1/2011 हिन्दी दिनांक 10.10.2011

भारतेंदु हरिश्चन्द्र पुरस्कार–2010

भारतेन्दु हरिश्चंद्र पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 2010 को विस्तृत विज्ञापन (सं0 डी.ए.वी.पी. 22213/11/2004/1112) प्रकाशित किया गया था। **इस योजना के अंतर्गत प्रविष्टियां प्राप्त होने की अंतिम तिथि 17 अक्तूबर, 2011 से बढ़ाकर 14 नवम्बर, 2011 कर दी गई है।**

योजना का विस्तृत विवरण 14 सितम्बर, 2011 के विज्ञापन में दिया गया है। प्रविष्टि प्रपत्र व नियमावली प्रकाशन विभाग की वेब साइट www.publicationsdivision.nic.in. पर उपलब्ध है। प्रपत्र और नियमावली डाक द्वारा सहायक निदेशक (राजभाषा), कमरा नं 342, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली अथवा ई मेल पता (pub.div.hin@gmail.com) से भी मंगाए जा सकते हैं।

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
सी. जी. ओ. कॉम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली

विज्ञापन सं. ई-11016/1/2011-हिन्दी **दिनांक 30.08.2011**

<u>भारतेंदु हरिश्चन्द्र पुरस्कार-*2010*</u>

भारतेंदु हरिश्चन्द्र पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 2010 के पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित हैं। 1 जनवरी, 2010 से 31 दिसम्बर, 2010 के दौरान निम्नलिखित विषयों पर प्रकाशित पुस्तकों/अप्रकाशित पांडुलिपियों पर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे : -

(क) पत्रकारिता एवं जनसंचार : यह पुरस्कार हिंदी में जनसंचार के विभिन्न माध्यमों - पत्रकारिता, प्रचार, विज्ञापन, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, मुद्रण, प्रकाशन आदि विषयों पर मौलिक लेखन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रकाशित पुस्तकों/पांडुलिपियों के लिए दिया जाता है। इस वर्ग में प्रथम पुरस्कार 75,000/- रुपये, द्वितीय पुरस्कार, 50,000/- रुपये तथा तृतीय पुरस्कार 40,000/- रुपये दिए जाएंगे।

(ख) राष्ट्रीय एकता : राष्ट्रीय एकता से संबंधित विषयों पर लिखी पुस्तकों/पांडुलिपियों के लिए प्रथम पुरस्कार 40,000/- रुपये तथा द्वितीय पुरस्कार 20,000/- रुपये दिए जाएंगे।

(ग) महिला विमर्श : समाज में महिलाओं की स्थिति से संबधित समसामयिक विषयों पर महिला लेखिकाओं द्वारा लिखी पुस्तकों/पांडुलिपियों हेतु प्रथम पुरस्कार 40,000/- रुपये, द्वितीय पुरस्कार 20,000/- रुपये दिए जाएंगे।

(घ) बाल साहित्य : बच्चों के लिए लिखी गई पुस्तकों/पांडुलिपियों के लिए प्रथम पुरस्कार 40,000/- रुपये द्वितीय पुरस्कार 20,000/- रुपये दिए जाएंगे।

इस योजना का विस्तृत विवरण तथा आवेदन प्रपत्र एवं नियमावली डाक द्वारा सहायक निदेशक (राजभाषा), कमरा नं 342, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली। ई मेल पता (pub.div.hin@gmail.com) से मंगाए जा सकते हैं। प्रकाशन विभाग में प्रविष्टियां प्राप्त होने की अंतिम तिथि 17 अक्तूबर, 2011 है।

प्रकाशन विभाग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

<u>सूचना भवन, सीजीओ काम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003</u>

वर्ष 2010 के लिए भारतेंदु हरिश्चन्द्र पुरस्कार योजना से संबंधित निर्देश

जो लेखक मौलिक रूप से हिंदी में लिखी गई पांडुलिपियों अथवा प्रकाशित पुस्तकों पर इस मंत्रालय की भारतेंदु हरिश्चन्द्र पुरस्कार योजना में भाग लेना चाहते हैं, वे कृपया निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान से पढ़ लें

1- सभी भारतीय लेखक इसमें भाग ले सकते हैं।

2- इस योजना के अंतर्गत 1 जनवरी, 2010 से 31 दिसम्बर, 2010 के दौरान प्रकाशित पुस्तकों अथवा अप्रकाशित पांडुलिपियों को पुरस्कार के लिए विचारार्थ भेजा जा सकता है।

3- निम्नलिखित विषयों पर प्रकाशित पुस्तकों अथवा अप्रकाशित (टाइप की हुई) पांडुलिपियों पर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे : -

(क) पत्रकारिता एवं जनसंचार

जनसंचार के किसी भी वि"k;य जैसे पत्रकारिता, प्रचार, विज्ञापन, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, मुद्रण, प्रकाशन आदि विषयों हिंदी में मौलिक पुरस्कार लेखन के लिए निम्नलिखित पुरस्कार दिये जाएंगे।

प्रथम पुरस्कार	75,000/- रुपये
द्वितीय पुरस्कार	50,000/- रुपये
तृतीय पुरस्कार	40,000/- रुपये

(ख) राष्ट्रीय एकता

राष्ट्रीय एकता से संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक लेखन के लिए निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगे :-

प्रथम पुरस्कार	40,000/- रुपये
द्वितीय पुरस्कार	20,000/- रुपये

(ग) महिला विमर्श

समाज में महिलाओं की समस्याओं से संबंधित विषयों पर महिला लेखिकाओं को निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगे :-

प्रथम पुरस्कार	40,000/- रुपये
द्वितीय पुरस्कार	20,000/- रुपये

(घ) बाल साहित्य

बाल साहित्य पर उत्कृष्ट पुस्तक लेखन के लिए निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगे : -

प्रथम पुरस्कार	40,000/- रुपये
द्वितीय पुरस्कार	20,000/- रुपये

4- यदि कोई भी पुस्तक संबंधित विषय के पुरस्कार के योग्य नहीं समझी गई तो पुरस्कार नहीं दिया जाएगा।

5- केंद्र सरकार या राज्य सरकार से सहायता प्राप्त करने वाली संस्था या संगठन के साथ संविदा के अनुसरण में या किसी योजना के अधीन लिखी गई या अनुवाद की गई पुस्तकें इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।

6- पुरस्कृत पुस्तक के सर्वाधिकार लेखक अथवा प्रकाशक के अधीन होंगे।

7- पुरस्कार के लिए प्रविष्टियां निर्धारित प्रपत्र में पुस्तक अथवा पांडुलिपि की 6-6 प्रतियों के साथ सहायक निदेशक, राजभाषा, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ काम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 को 17 अक्तूबर, 2011 तक पहुंच जानी चाहिए।

8- यदि पांडुलिपि/पुस्तक के लेखकों की संख्या एक से अधिक है तो प्रत्येक लेखक अलग-अलग प्रपत्र भरे तथा प्रविष्टियां इस विभाग को एक साथ भेजी जाएं।

9- प्रविष्टियों का मूल्यांकन सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित भारतेंदु हरिश्चन्द्र पुरस्कार मूल्यांकन समितियों द्वारा किया जाएगा। इस मामले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय का निर्णय अंतिम व बाध्य होगा।

10- यदि पुरस्कृत पुस्तक अप्रकाशित है तो प्रकाशन विभाग लेखक की सहमति से पुस्तक का प्रकाशन कर सकता है किंतु इसको प्रकाशित करने के लिए विभाग बाध्य नहीं है। इसके लिए लेखकों को उतनी ही रॉयल्टी दी जाएगी जितनी कि इस विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकों पर अन्य लेखकों को दी जाती है।

11- यदि पुरस्कृत पुस्तक/पांडुलिपि के लेखक एक से अधिक व्यक्ति हैं तो पुरस्कार की राशि विभिन्न लेखकों में एक समान वितरित की जाएगी।

12- प्रकाशन विभाग पुस्तकों/पांडुलिपियों की वापसी अथवा मार्ग में किसी प्रकार की हानि अथवा क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

13- जिन पुस्तकों/पांडुलिपियों पर एक बार विचार हो चुका होगा उनको पुनः इस योजना में प्रविष्टि नहीं मिल सकेगी।

14- यदि कोई लेखक किसी वर्ष पुरस्कृत किया गया है तो वह अगले तीन वर्षों तक इस योजना में भाग लेने का पात्र नहीं होगा।

15- ऐसी किसी प्रकाशित पुस्तक अथवा अप्रकाशित पांडुलिपि को विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिनके पृष्ठों की संख्या क्रमशः 80 और 120 से कम हो। बाल साहित्य के लिए यह नियम लागू नहीं होगा। पांडुलिपि फुलस्केप पेपर पर टाइप होनी चाहिए अन्यथा उसे पुरस्कार योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।

16- कृपया अपने प्रविष्टि प्रपत्र के साथ 11x22 सें.मी. आकार का अपना पता लिखा बिना टिकट लगा एक लिफाफा अवश्य भेजें।

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना भवन, सीजीओ काम्प्लैक्स
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

आवेदक का विवरण

1- नाम ....
2- पिता/पति का नाम...
3- व्यवसाय ....
4- राष्ट्रीयता ....
5- पत्र-व्यवहार का पता ....
....
....
6. ई मेल ....

7. क्या आपने इससे पहले भी भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पुरस्कार योजना में भाग लिया है? यदि हां तो किस वर्ष?

8. क्या आपको इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार मिला था?

(क) यदि हां तो कौन-सा पुरस्कार ....
(ख) पुरस्कृत पुस्तक/पांडुलिपि का नाम ....

पुस्तक/पांडुलिपि का विवरण

1- प्रकाशित पुस्तक/पांडुलिपि का नाम ....
2- निम्नलिखित विषय वर्गों में से किस वर्ग में आपकी पुस्तक/पांडुलिपि आती है : -
कृपया सही निशान लगाएं।

(क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित निम्नलिखित विषय

(1) प्रकाशन (प्रकाशन कला, तकनीक आदि)	(2) पत्रकारिता
(3) टेलीविज़न	(4) विज्ञापन
(5) फिल्म	(6) रेडियो
(7) जनसंचार के अन्य माध्यम	

(ख) समसामयिक विषयों/समाज में महिला समस्याओं से संबंधित विषयों पर केवल महिला लेखिकाओं द्वारा लिखी गई पुस्तक/पांडुलिपि।

(ग) राष्ट्रीय एकता से संबंधित वि"kय पर लिखी गई पुस्तक/पांडुलिपि।

(घ) बाल साहित्य पर लिखी गई पुस्तक/पांडुलिपि

3- पुस्तक किस वर्ष में प्रकाशित हुई

....

4- पुस्तक के प्रकाशक का पूरा नाम

....

....

....

5- यदि अप्रकाशित है तो किस वर्ष लिखी गई

....

6. संस्करण (प्रथम, द्वितीय अथवा संशोधित, परिवर्धित इत्यादि)

7. क्या इससे पूर्व भी किसी अन्य प्रतियोगिता में यह पुस्तक या इसका कोई अन्य संस्करण प्रस्तुत किया गया :-

(क) यदि हां तो किस वर्ष ....

(ख) क्या पुरस्कार मिला था ....

यदि हां तो कौन सा पुरस्कार ....

6- यदि पुस्तक प्रकाशित है, तो इसका कॉपीराइट किसके अधीन है

....

....

....

7- पुस्तक का मूल्य

....

....

8- पुस्तक/पांडुलिपि के पृष्ठों की संख्या

....

(पांडुलिपि फुलस्केप पेपर पर टाइप की हुई होनी चाहिए)

9- क्या पुस्तक/पांडुलिपि का किसी अन्य भाषा में अनुवाद किया गया है, यदि हां तो किस भाषा में

....

....

10- क्या पुस्तक/पांडुलिपि किसी सरकारी अनुबंध के तहत लिखी गई है

....

11- क्या आवेदक ने पुस्तक/पांडुलिपि संयुक्त रूप से लिखी है? यदि हां तो सह-लेखक का नाम व पता आदि (सह लेखक भी इस प्रविष्टि प्रपत्र को अलग से भेजे)

....

....

....

मैं/हम प्रमाणित करता/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा यह पुस्तक मूल रूप से हिंदी में लिखी गई है। मैं घोषणा करता/करती हूं कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

प्रकाशक के हस्ताक्षर	आवेदक के हस्ताक्षर
नाम साफ अक्षरों में	नाम साफ अक्षरों में
तथा प्रकाशक की मोहर	मोबाइल/दूरभाष :-
दिनांक : -	दिनांक :-

आवश्यक निर्देश

1- इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत बाल साहित्य को छोड़ कर अन्य वर्गों में कविता, नाटक, उपन्यास, कहानियां, व्यक्ति विशेष पर लिखी पुस्तकें/पांडुलिपियां नहीं आती हैं।

2- यदि प्रकाशित पुस्तक भेज रहे हैं तो प्रविष्टि प्रपत्र पर प्रकाशक के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। यदि हस्ताक्षर नहीं हैं तो पुस्तक के प्रकाशक द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र एक माह के अंदर अवश्य भेजें कि प्रकाशक को पुरस्कार योजना में आपके भाग लेने में कोई आपत्ति नहीं है।

3- यदि पुस्तक पांडुलिपि के लेखकों की संख्या एक से अधिक है तो प्रत्येक आवेदन पृथक-पृथक करें और ऐसे सभी आवेदन इस विभाग को एक साथ भेजें।

4- पांडुलिपि साफ-साफ टाइप करा कर भेजी जानी चाहिए। हस्तलिखित पांडुलिपि पर विचार नहीं किया जाएगा।

5- अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

6- कृपया निम्नलिखित संलग्न करें : -

   1- एक पासपोर्ट साइज़ की नवीन फोटो (प्रपत्र पर चिपकाएं)

   2- पुस्तक/पांडुलिपि की 6 प्रतियां।

   3- 100 शब्दों का संक्षिप्त जीवनवृत्त।

   4- एक 10x22 सें.मी. आकार का बिना टिकट लगा, पता लिखा लिफाफा।

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना भवन, सीजीओ काम्प्लैक्स
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

भारतेंदु हरिश्चन्द्र पुरस्कार योजना के नियम

1. पुरस्कार का नाम : भारतेंदु हरिश्चन्द्र पुरस्कार।

2. पुरस्कार की राशि देने वाला : प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।

3- उद्देश्य : प्रकाशन, टेलीविज़न, रेडियो, विज्ञापन, पत्रकारिता, फिल्म आदि जनसंचार के विषय तथा बाल साहित्य, राष्ट्रीय एकता तथा समाज में महिलाओं की समस्याओं से संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए भारतीय लेखकों को प्रोत्साहित करना। केवल मौलिक लेखन पर ही, चाहे वह टंकित पांडुलिपि अथवा प्रकाशित सामग्री के रूप में हो, पुरस्कार प्रदान करने के लिए विचार किया जाएगा।

4- पुरस्कार की पात्रता : सभी भारतीय लेखक इस पुरस्कार योजना में भाग ले सकते हैं।

5- इस पुरस्कार योजना के लिए विचारार्थ प्रस्तुत सामग्री अथवा पांडुलिपि लेखक की अपनी मौलिक कृति होनी चाहिए और इससे किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराइट के अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

6. मौलिक कृति से आशय : -

    (1) वह कृति जो प्रतियोगी लेखक द्वारा मूल रूप से हिंदी में ही लिखी गई हो।

    (2) वह कृति प्रतियोगी लेखक द्वारा किसी अन्य भाषा में लिखी गई पुस्तक का स्वयं अथवा किसी व्यवसायिक अनुवादक द्वारा कराया गया अनुवाद नहीं होनी चाहिए।

    (3) वह कृति जो किसी सरकारी अनुबंध के अंतर्गत लिखी गई पुस्तक का अनुवाद न हो।

7- यह पुरस्कार कैलेंडर वर्ष (जनवरी से दिसम्बर तक) में लिखी गई पांडुलिपियों/प्रकाशित पुस्तकों पर दिया जाएगा और यदि किसी कैलेंडर वर्ष के लिए उपयुक्त पुस्तकें उपलब्ध नहीं होंगी, तो उस वर्ष पुरस्कार नहीं दिया जाएगा।

8- मूल्यांकन समिति : पुरस्कारों के निर्णय के लिए सर्वोत्तम पुस्तकों/पांडुलिपियों का चयन करने के लिए चार मूल्यांकन समितियां होंगी।

9- प्रत्येक मूल्यांकन समिति में पांच सदस्य होंगे, जो संबंधित विषय क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे। अपर महानिदेशक एवं प्रभारी, प्रकाशन विभाग, मूल्यांकन समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। समिति के अध्यक्ष का चयन सर्व सम्मति से सदस्यों द्वारा किया जाएगा।

10- मूल्यांकन समिति के किसी सदस्य द्वारा त्याग पत्र देने अथवा किसी कारण हुई रिक्त स्थान की पूर्ति सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा की जाएगी।

11- मूल्यांकन समिति के सदस्य सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

12- मूल्यांकन समिति का यदि कोई सदस्य पुरस्कार के लिए अपनी प्रविष्टि विचारार्थ भेजता/भेजती है तो उस स्थिति में वह मूल्यांकन समिति का सदस्य नहीं रहेगा/रहेगी और उनके स्थान पर उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी।

13- मूल्यांकन समिति के सदस्य उल्लिखित नियमों के अनुसार, अपर महानिदेशक एवं प्रभारी, प्रकाशन विभाग को पुरस्कार के लिए उन लेखकों के नामों की सिफारिश करेंगे जिन्हें मूल्यांकन समिति पुरस्कार के योग्य समझती है।

14- इस समिति का कार्यकाल एक वर्ष होगा।

15- यदि किसी वर्ष मूल्यांकन समिति किसी भी पुस्तक/पांडुलिपि को पुरस्कार दिए जाने के लिए उपयुक्त नहीं समझती है तो मूल्यांकन समिति अपने विवेक पर उस पुरस्कार को रोक भी सकती है।

16- विचार-विमर्श के लिए इन मूल्यांकन समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए समिति के सदस्यों को दी जाने वाली राशि का निर्धारण अपर महानिदेशक एवं प्रभारी, प्रकाशन विभाग द्वारा किया जाएगा।

<u>पुरस्कार चयन के लिए कार्य विधि : -</u>

17- अपर महानिदेशक एवं प्रभारी, प्रकाशन विभाग हिंदी और अंग्रेजी के मुख्य समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के जरिए लेखकों से पुस्तकें एवं पांडुलिपियां आमंत्रित करेंगे। इन पुरस्कारों के लिए अपर महानिदेशक एवं प्रभारी, प्रकाशन विभाग अपनी ओर से भी किसी पुस्तक अथवा पांडुलिपि को योजना में शामिल कर सकते हैं।

18- लेखकों को पुस्तकों/पांडुलिपियों की 6-6 प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगीं प्रस्तुत की गई पुस्तकें/ पांडुलिपियां लेखकों को वापस नहीं की जाएंगी।

19- यदि कोई लेखक किसी वर्ष पुरस्कृत किया गया है तो वह अगले तीन वर्षों तक पुरस्कार योजना में भाग लेने का पात्र नहीं होगा।

20- बाल साहित्य को छोड़ कर किसी भी पुस्तक की पृष्ठ संख्या 80 और पांडुलिपि की पृष्ठ संख्या 120 से कम नहीं होनी चाहिए। पांडुलिपि फुलस्केप पेपर पर टाइप की हुई होनी चाहिए।

21- यदि पुस्तक/पांडुलिपि को किसी पुरस्कार के लिए विचारार्थ स्वीकार किया जाता है अथवा किसी अन्य योजना के अंतर्गत इसे पुरस्कृत किया गया है तो लेखक को अपर महानिदेशक एवं प्रभारी, प्रकाशन विभाग को लिखे अपने अग्रेषण पत्र में इसकी सूचना देनी होगी।

22- लेखक विचारार्थ एक से अधिक प्रविष्टियां प्रस्तुत कर सकता है, किंतु कोई भी लेखक इस योजना के अधीन एक वर्ष में एक से अधिक पुरस्कार पाने का हकदार नहीं हो सकता।

23- मूल्यांकन समिति का प्रत्येक सदस्य, अपर महानिदेशक एवं प्रभारी, प्रकाशन विभाग को निर्धारित तिथि तक पुरस्कार संबंधी अपनी राय के बारे में बताएगा।

24- लेखकों को पुरस्कार तभी दिया जाएगा जबकि मूल्यांकन समिति के सदस्य बहुमत से उसके नाम/ उनके नामों की सिफारिश करेंगे।

25- यदि अपर महानिदेशक एवं प्रभारी, प्रकाशन विभाग द्वारा कोई पुस्तक/पांडुलिपि पुरस्कार के स्तर के अनुरूप नहीं पाई जाती है तो वह पुरस्कार को रोक भी सकते हैं।

26- यदि पुरस्कृत पुस्तक/पांडुलिपि के लेखक एक से अधिक व्यक्ति हैं तो पुरस्कार की राशि लेखकों में एक समान वितरित की जाएगी।

27- अपर महानिदेशक एवं प्रभारी, प्रकाशन विभाग द्वारा मूल्यांकन समिति की सिफारिश को स्वीकार करने के पश्चात ही पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी।

28- पुरस्कारों के चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।

<u>पुरस्कृत पांडुलिपि का प्रकाशन</u>

29- पुरस्कार विजेता अपनी पांडुलिपि को किसी भी प्रकाशक से प्रकाशित करवा सकते हैं, किंतु इसे प्रकाशित कराने से पूर्व प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुमति आवश्यक है। पुरस्कृत पांडुलिपि के प्रकाशन के लिए प्रकाशन विभाग बाध्य नहीं होगा।

30- यदि पुरस्कृत पांडुलिपि प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है तो लेखक को उतनी ही रॉयल्टी दी जाएगी जितनी कि प्रकाशित पुस्तकों पर दी जाती है।

<u>पुरस्कारों का वितरण</u>

31- अपर महानिदेशक एवं प्रभारी, प्रकाशन विभाग पुरस्कार विजेताओं के नाम पुरस्कारों के वितरण से काफी समय पूर्व अधिसूचित करेंगे।

32. सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय को इस योजना में संशोधन करने का अधिकार होगा।